प्रेस नोटः—

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक—29.03.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग—

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न—भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **165 वाहनों से मु0— 27,300 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने—अपने थाना क्षेत्रों में अलग—अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़—भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़—भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 08 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल— 23 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

08 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 28.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल—06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 95 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामकुमार यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी रनियापुर टेपरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—92/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजय शंकर पुत्र श्रीराम निवासी मनजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—88/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामसुमेर पुत्र खुशी निवासी दनुआ थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, 02 गुदनी पुत्र रामसुमेर निवासी दनुआ थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, 01 कि0ग्रा0 यूरिया, 01 कि0ग्रा नौशादर व 250 ग्राम फिटकरी बरामद कर मु0अ0सं0—77/19, धारा 272 भादवि, व 60/60(2) आबकारी अधिनियम, 03. शिवकुमार पुत्र पृथ्वीपाल निवासी पठानपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अ अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—79/19, धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजयबहादुर पुत्र सुर्दशन सिंह निवासी खोरहानपुरवा मौजा कटहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—80/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अवैध असलहों के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार, विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी–

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद मे अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व स्वाट टीम को सख्त निर्देश दिये थे। कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

थाना उमरीबेगमगंज से कार्यवाही–

अभियुक्त प्रहलाद सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह निवासी इस्माइलपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को क्षेत्र भ्रमण के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर मु0अ0सं0–71/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना वजीरगंज से कार्यवाही–

अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र रामदेव निवासी रामपुर टेंगराहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को परसाना बनरबगिया बैरियर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर मु0अ0सं0–126/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना खोड़ारे से कार्यवाही–

01.अभियुक्त– शहजाद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी भभनजोत पठान डीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर मु0अ0सं0–56/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

02.अभियुक्त– नफीश पुत्र सुबराती निवासी भावपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को बैंक चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर मु0अ0सं0–56/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 68 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 95 ली0 अवैध कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 29.03.2019

बैंको पर रेकी कर रास्ते मे लूट करने वाले गैंग का खुलासा, 01 अभियुक्त अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार, लूट के 5900 रू0 व मोबाईल बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. हनुमान निषाद पुत्र स्व0 रामजस निषाद नि0 गुप्तारघाट थाना कैण्ट जनपद फैजाबाद अयोध्या।

पंजीकृत अभियोगः–

1.मु0अ0सं0 81/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोगः–

01. मु0अ0सं0 52/2019 धारा 392.411 भादवि थाना तरबगंज गोण्डा
02. मु0अ0सं0 63/2019 धारा 392 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा

बरामदगी–

01. 01 मोबाइल
02. 5900 रूपये
03. 01 अदद तमंचा व 1 अदद जिन्दा कारतूस कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान मे बैंको से पैसा निकालने वाले उपभोक्ताओं की रेकी कर रास्ते मे उनके साथ लूट करने वाले गैंग के खुलासे के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0 सिंह द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना तरबगंज को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे श्री महेन्द्र कुमार अपर पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा व श्री कृष्ण चन्द्र सिंह क्षेत्राधिकारी तरबगंज गोण्डा के निर्देशन मे दिनांक 28.03.2019 को समय 14.45 बजे रगड़गंज उमरी रोड अभियुक्त हनुमान निषाद को बैंक उपभोक्तओं को रेकी करते समय गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 20.02.2019 को रगड़गंज से उमरी रोड़ पर हुई लूट का मोबाईल व थाना परसपुर क्षेत्र के डेहरास मे दिनांक 07.03.2019 को हुई लूट का 5900रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–

01. प्र0नि0 तरबगंज संजय कुमार दूबे।
02. हे0का0 सुरेशचन्द्र मिश्र।
03. का0 मनीष कुमार दूबे।
04. का0 बृजेश चतुर्वेदी।
05. हे0का0 चालक लालधारी यादव।
06. आरक्षी राजू सिंह सर्विलांस सेल
07. आ0 हृदय नरायण दीक्षित सर्विलांस सेल

225 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विजय बहादुर सिंह पुत्र सुर्दशन निवासी कटहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. चिन्टू चौबे पुत्र फागू चौबे निवासी कटहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 225 ली0 अवैध कच्ची शराब।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–82/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों व स्वाट टीम को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री, भण्डारन व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये थे। जिसके परिपेक्ष्य में थाना तरबगंज व स्वाट की संयुक्त टीम को सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 29.03.2019 को थाना तरबगंज, स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कडरहन पुरवा में दबिश देकर कुल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 225 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना तरबगंज में आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक स्वाट मनोज कुमार सिंह मय हमराह फोर्स।
02. उ0नि0 जुगुल किशोर चन्द्र थाना तरबगंज।
03. हेड का0 अनिल कुमार।